

परिशिष्ट IX

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम्

भूमिका

1. आम सरोकार के मामले में सरकार और सरकारी कर्मचारियों की आम सभा के बीच सद्भावपूर्ण संबंधों, अधिकतम सहयोग प्राप्त करने तथा सरकारी सेवा की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार ने सेवा संबंधी मामलों में अनिर्णीत विवादों के लिए संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और अनिवार्य माध्यस्थम् की स्थापना की है।

प्रयोज्यता

2. केन्द्रीय सेवा के सभी नियमित सिविल कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत आते हैं परन्तु ग्रुप "क" सेवाएं, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अलावा ग्रुप "ख" सेवाएं और मुख्यालय संगठन की अन्य तुलनीय सेवाएं मुख्य रूप से प्रबन्धकीय और प्रशासकीय संवर्ग के 575 रुपये प्रतिमास से अधिक के वेतनमान में वेतन ले रहे पर्यवेक्षीय कर्मचारी, औद्योगिक स्थापनाओं के कर्मचारी, संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी तथा पुलिस कार्मिक इस योजना में शामिल नहीं हैं।

3. आकाशवाणी में कार्यरत तंत्र

(i) विभागीय परिषद्

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक विभागीय तंत्र का काठन किया है जिसमें आकाशवाणी सहित सभी प्रचार माध्यमों के कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों/एसोसिएशनों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस विभागीय परिषद् की बैठक तीन महीनों में एक बार होती है। सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसका अध्यक्ष होता है। प्रत्येक एसोसिएशन अपना एक व्यक्ति नामित करती है।

(ii) कार्यालय परिषद्

महानिदेशालय में विभागीय परिषद् की तरह कार्यालय परिषद् कार्यरत है। इसमें सभी सेवाओं के मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों और संघों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें स्टाफ आर्टिस्टों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता क्योंकि उनका कोई मान्यता प्राप्त संघ नहीं होता। महानिदेशक की अध्यक्षता में तीन महीनों में एक बैठक होती है। सभी मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को परिषद् में अपना-अपना एक प्रतिनिधि नामित करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त समस्याओं पर विचार करने के लिए मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत एसोसिएशनों को भी महानिदेशक से मिलाने का समय दिया जाता है जब कभी भी इसकी मांग की जाए।

(iii) स्थानीय अनौपचारिक स्टॉफ परामर्शदात्री समिति:

आकाशवाणी केन्द्रों और कार्यालयों में स्थानीय अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियां हैं। इनमें मान्यता प्राप्त सभी एसोसिएशनों/संघों, स्टॉफ आर्टिस्टों तथा अन्य गैर-मान्यता प्राप्त संघों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को रोजमर्रा के कामकाज में पेश आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए दो माह में एक बार बैठक होना आवश्यक है। केन्द्रों/कार्यालयों को ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त निदेशालय को भेजने चाहिए। स्थानीय अनौपचारिक स्टॉफ परामर्शदात्री समितियों से संबंधी विस्तृत अनुदेश अनुबंध-1 में दिए गए हैं। मान्यताप्राप्त एसोसिएशन/संघों के नाम भी इस अनुबंध में दिए गए हैं। वर्तमान में, सेवा एसोसिएशनों/संघों को मान्यता प्रदान करने के लिए अनुदेश के अधीन मान्यताप्राप्त एसोसिएशनों की संख्या नौ है।

APPENDIX IX

SCHEME FOR JOINT CONSULTATIVE MACHINERY AND COMPULSORY ARBITRATION FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES**BACKGROUND**

1. With the object of promoting harmonious relations, securing greatest measure of cooperation between the Govt. and the general body of its employees in the matter of common concern and with the object of increasing the efficiency of public service, Govt. has established a machinery for Joint Consultation and arbitration or unresolved differences relating to service matters.

APPLICABILITY

2. The scheme covers all regular civil employees of the Central Govt. except belonging to Group 'A' services, Group 'B' services other than Central Secretariat services and other comparable services in the Headquarter Organisation, mainly in managerial and administrative capacity, and those employees in supervisory capacity drawing salary in scales going beyond Rs. 575 per month, industrial establishment employees, employees of Union Territories and Police Personnel.

3. MACHINERY FOR OPERATION IN AIR**(i) Departmental Council**

Ministry of I&B has constituted a Departmental Council in which all the recognised Unions/Associations of employees of the media units including AIR are represented. The meetings of this Departmental Council are held once in 3 months. The Secretary, Ministry of I&B is the Chairman. The associations are represented by one nominee each.

(ii) Office Council

On the same lines, an Office Council is functioning at the Directorate General. On it, all the recognized service associations and unions are represented. The Staff Artists are not represented since they have no recognized union. The meetings are held once in three months under the Chairmanship of the Director General. All the recognized associations have to nominate one representative each on the Council. In addition recognized individual Associations are also given meetings with DG to discuss problems as and when request is received from them.

(iii) Local Informal Staff Consultative Committee

At AIR Stations and Offices there are Local Informal Consultative Committees. All the Associations/Unions recognized as well as Staff Artists and also unrecognized Unions are represented. Meetings are required to be held once in two months to discuss the day-to-day problems facing the members of the staff of various categories. Stations/Offices are required to send minutes of such meetings to the Directorate. Detailed instructions on the Local Informal Staff Consultative Committees are given in Annexure I. The names of the recognized associations/Unions are also contained in this Annexure. At present, there are 9 Associations which are recognized under the instructions for the recognition of the service associations/unions.

(iv) प्रशासनिक स्टाफ कार्यालय परिषद्

निदेशालय में कार्यरत अमले के लिए प्रशासनिक स्टाफ कार्यालय परिषद् नामक एक कार्यालय परिषद का गठन किया गया है जिसमें सचिवालय स्टाफ, आशुलिपिक, ग्रुप "घ" अन्य कर्मचारी और महिला कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। कम से कम तीन महीनों में एक बार उपमहानिदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में परिषद् की बैठक होती है।

4. क्षेत्र और कार्य

- (i) परिषद् के क्षेत्र में कर्मचारियों के काम की शर्तों और कार्य, कल्याण तथा कार्य कुशलता और कार्य स्तर में सुधार करने से संबंधित सभी मामले आते हैं। आम सिद्धांतों के मामलों पर ही विचार किया जाता है और व्यक्तिगत मामलों पर कोई विचार नहीं किया जाता है।
- (ii) परिषद् द्वारा किसी भी किए गए कार्य को, जब तक अध्यक्ष की अनुमति से विशेष कारण न हो, अगले 12 महीनों की कार्यसूची में नहीं रखा जा सकता है।
- (iii) एक माध्यमस्थम् तंत्र की व्यवस्था की गई है और किसी भी मामले पर असहमति होने पर मामले को माध्यमस्थम् तंत्र को भेजा जाता है और इस प्रकार का माध्यमस्थम् निम्नलिखित तक सीमित रहता है:
 - (क) वेतन और भत्ते।
 - (ख) साप्ताहिक कार्य घण्टे, और
 - (ग) किसी वर्ग अथवा ग्रेड के कर्मचारियों के लिए छुट्टी, इस प्रकार के माध्यमस्थम् के लिए एक विशेष तंत्र का प्रावधान किया गया है।

मान्यता प्राप्त संघों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध सुविधाएं

5. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त संघों/एसोसिएशनों को विशेष आकस्मिक अवकाश की निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं:

- (क) एसोसिएशनों/संघों के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पदाधिकारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 20 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश।
- (ख) कार्यकारिणी समिति के बाहरी केन्द्रों पर तैनात प्रतिनिधियों/सदस्यों को समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए एक कैलेण्डर वर्ष में 10 दिन तक का विशेष आकस्मिक अवकाश।
- (ग) एसोसिएशनों/संघों/महासंघों की बैठक में उपस्थित होने के लिए कार्यकारिणी समिति के स्थानीय प्रतिनिधियों और स्थानीय सदस्यों को एक कैलेण्डर वर्ष में 5 दिन तक का विशेष आकस्मिक अवकाश।

6. संघ/एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य दो पदाधिकारियों को संबंधित संगठन के मुख्यालयों में स्थानांतरण करवाने की सुविधा दी जाती है। प्रमुख एसोसिएशन/संघ के संविधान/उपनियमों में परिभाषित किए गए अनुसार होगा अथवा महासचिव अथवा जहां कहीं प्रमुख को परिभाषित नहीं किया गया है, महासचिव को स्थानांतरित करके, जहां तक भी संभव हो, मुख्यालय अथवा अन्य किसी कार्यालय में, जोकि मुख्यालय के अधीन है, लाना चाहिए। स्थानांतरण मार्गदर्शी सिद्धान्तों में इस बात का उपबन्ध किया गया है कि:-

"एसोसिएशन/संघ/महासंघ के संविधान में परिभाषित के अनुसार मान्यता प्राप्त एसोसिएशन/संघ/महासंघ के केन्द्रीय निकाय के प्रमुख अथवा जहां कि ऐसी एसोसिएशन/संघ/महासंघ के संविधान में प्रभुत्व की विशेष रूप से कोई परिभाषा न दी गई हो, तो उसके महासचिव को, यदि वह दिल्ली/नई दिल्ली से बाहर स्थित किसी केन्द्र/कार्यालय में तैनात है तो उसे स्थानांतरित करके दिल्ली/नई दिल्ली लाया जाना चाहिए। यदि वह दिल्ली/नई दिल्ली के किसी केन्द्र/कार्यालय में पहले से ही तैनात हो, तो जब तक वह इस पद का धारण किये रहता है, जिसकी वजह से वह दिल्ली/नई दिल्ली में तैनाती का हकदार है, तक दिल्ली/नई दिल्ली में ही तैनात रहेगा।"

7. मंत्रालय की विभागीय परिषद् और निदेशालय की कार्यालय परिषद् के लिए नामित एसोसिएशनों/संघों के प्रतिनिधियों को, विभागीय परिषद् और कार्यालय परिषद् की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, यदि उन्हें ऐसा करने के लिए कहा गया हो तो, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते की सुविधा मुहैया करायी जाएगी।

(iv) Administrative Staff Office Council

For the staff working at the Directorate proper, an office council named Administrative Staff Office Council has been constituted representing Secretarial Staff, Stenographers, Group 'D', other employees and lady employees. The Council meets at least once in 3 months under the Chairmanship of DDG(A).

4. SCOPE AND FUNCTIONS

- (i) The scope of the Councils includes all matters relating to conditions and work, welfare of the employees and improvement of efficiency and standards of work. The consideration is limited to matter of general principles and individual cases are not considered.
- (ii) Any matter disposed of by the Council is not placed on the agenda during the following 12 months, unless there are special reasons with the approval of the Chairman.
- (iii) An arbitration machinery has also been provided and in the case of disagreement, the matter is referred to the arbitration machinery and such an arbitration is limited to:
 - (a) Pay and allowances;
 - (b) Weekly hours of work; and
 - (c) Leave of a Class or Grade of employees. Special machinery has been provided for such an arbitration

FACILITIES AVAILABLE TO THE REPRESENTATIVES OF THE RECOGNIZED UNIONS/ASSOCIATIONS

5. The following facilities of special Casual Leave are admissible to recognized Unions/ Associations of Central Government Employees:-
 - (a) Special Casual Leave upto a maximum of *20 days* in a calendar year to the office-bearers for participation in the *activities* of associations/unions.
 - (b) Special casual leave *upto 10 days* in a calendar year to outstations delegates/ members of executive committee to attend its meetings.
 - (c) Special Casual Leave *upto 5 days* in a calendar year to local delegates and local members of executive committee for attending meetings of the associations/unions/federations.
6. The Chief Executive of the Union/ Association and two other office bearers are granted the facility of seeking transfer to the Headquarters of the appropriate organisation. The Chief Executive would be as defined in the Constitution/by laws of the Association/Union or the General Secretary or where the Chief Executive has not been defined, the General Secretary may be brought on transfer to Headquarter or any other office under the control of the Head Office as far as possible. In the transfer guidelines it has also been provided:

“Only the Chief Executive of the Central Body of recognized Association/Union/Federation as defined in the Constitution of that Association/Union/Federation, or where the Chief Executive has not been specifically defined in the Constitution of such an Association/Union/Federation, the General Secretary thereof, may, if he is posted at a station/office outside Delhi/New Delhi, be brought on transfer to a Station/office at Delhi/New Delhi. In case, however, he is already posted at a Station/office in Delhi/New Delhi, he will not be so long as he continues to hold the office by virtue of which he is entitled to be retained at Delhi/New Delhi.
7. The representatives of Association/Unions nominated for the departmental council at the Ministry and the office Council at the Directorate will be provided the facility of TA/DA for the purpose of attending the meetings of the Departmental Council and the Office Council, as and when called to do so.

आकाशवाणी के आहाते में बैठकों का किया जाना

8. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन आकाशवाणी परिसर प्रतिषेक स्थान/क्षेत्र है। यहां तक कि इसके अतिरिक्त परिसर के भीतर कर्मचारियों द्वारा अव्यवस्थात्मक व्यवहार करने की अनुमति नहीं है। कार्यालय परिसर, कार्यालय आहाते सहित में बैठक/प्रदर्शन, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना करने की मनाही है और ऐसा करने वाले के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

9. जहां तक कर्मचारी की मान्यता प्राप्त एसोसिएशन की सामान्य और शान्तिवर्क क्रियाकलापों में सरकार का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं है, फिर भी कर्मचारियों की अनधिकृत बैठकों के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति से निपटाने के लिए निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए:

- (क) आकाशवाणी के किसी भी कार्यालय के परिसर (कार्यालय के आहाते सहित) में प्रदर्शन करने अथवा नारेबाजी करना अथवा ऐसे प्रकार के अन्य शांतिभंग आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- (ख) कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों को, तथापि, निम्नलिखित, शर्तों पर संघ की बैठक करने की अनुमति दी जा सकती है:
 - (i) कम से कम तीन दिन पूर्व विभागाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त कर ली जाए।
 - (ii) विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित स्थान पर ही बैठक की जाए।
 - (iii) इस प्रकार की बैठक में बाह्य व्यक्ति को भाग लेने अथवा अपना भाषण देने की अनुमति दी जा सकती है।
 - (iv) बैठक में उपस्थित होने वाले व्यक्ति न तो नारेबाजी करेंगे अथवा न ही किसी व्यक्तिगत पुरुष को निंदात्मक भाषा इस्तेमाल करने की अनुमति है।
 - (v) बैठक से कार्यालय के कार्यकरण पर किसी किस्म का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

HOLDING OF MEETINGS WITHIN THE COMPOUND OF ALL INDIA RADIO

8. The premises of All India Radio "are prohibited places/areas" under the Official Secrets Act, 1923. Even, otherwise, disorderly behaviour on the part of the employees within the premises is not permitted. Meetings/demonstrations held in the office premises including the office compound without the permission of the Competent Authority amounts to trespass and anybody doing so is liable to criminal action.
9. While it is not the intention of the Govt. to interfere with the normal and peaceful activities of the recognized association of employees, at the same time permission cannot be granted for unauthorised meetings of the employees. The following instructions will be required to be strictly followed to handle such situations:
 - (a) Demonstrations, or the raising of slogans or other such disorderly conduct will not be permitted within the premises (including the office compounds) in any of the offices of AIR.
 - (b) The recognized Associations of employees can, however, be permitted to hold union meetings on the following conditions:-
 - (i) Permission of the Head of Office is obtained at least 3 days in advance.
 - (ii) The meeting is held at the place approved by the Head of Office.
 - (iii) No outsiders are allowed to participate or address such meetings.
 - (iv) The persons attending the meetings do not indulge in shouting of slogans or the use of abusive language to any individual officer.
 - (v) The meeting does not interfere with the working of the office.

अनुलग्नक I

स्थानीय औपचारिक कर्मचारी परामर्शदात्री समितियों के संबंध में विस्तृत अनुदेश

1. नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों के मामले में स्वास्थ्यजनक वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से और आकाशवाणी के केन्द्रों/कार्यालयों के मान्यताप्राप्त संघों/एसोसिएशनों के सीमा निकटतम सम्पर्क बनाए रखने के लिए यह निर्णय किया गया है कि मान्यता प्राप्त कर्मचारी एसोसिएशनों/संघों के प्रतिनिधियों के साथ सभी केन्द्रों/कार्यालयों के प्रमुखों को दो महीनों में एक बार बैठक करनी चाहिए।
2. ऐसी बैठकों में जिन मामलों पर विचार किया जा सकता है, उनमें कुछ को उदाहरण के तौर पर दिया जा रहा है :-
 - (क) पेय जल आपूर्ति के लिए प्रबन्ध
 - (ख) लाकर की व्यवस्था,
 - (ग) स्वच्छता
 - (घ) भविष्यनिधि खातों में गड़बड़
 - (ङ) परिवहन व्यवस्था
 - (च) सरकार/आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा निर्धारित सामान्य ढांचे और सीमाओं के अन्तर्गत शिफ्ट ड्यूटी समय-निर्धारण,
 - (छ) कैंटीन सुविधा,
 - (ज) अग्रिम की स्वीकृति और कर्मचारियों को देय बिलों में विलम्ब,
 - (झ) कर्मकारों की सुरक्षा संबंधी उपाय,
 - (ण) चिकित्सा सुविधाएं,
 - (ट) आवास सुविधाएं
 - (ठ) रेडियो कालोनियों में रेजिडेन्ट कल्याण सोसायटी/एसोसिएशनों का गठन।
 - (ड) प्रसारण और अभिग्राहित्र केन्द्रों पर खाना बनाने की सुविधा।
 - (ढ) श्रेणी "ग" और श्रेणी "घ" के पात्र कर्मचारियों को वर्दी की आपूर्ति, और
 - (ण) पुस्तकाल सुविधा।
3. उपरोक्त पैरा में दिए गए उदाहरण निदर्शी हैं, सम्पूर्ण नहीं हैं। ऐसी बैठक में निम्न को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाता है कि किस मामले पर विचार किया जा सकता है और कौन से मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है :-
 - (क) कि यह कमोबेश स्थानीय मामला है और इसका स्वरूप अखिल भारतीय नहीं है।
 - (ख) इसको निर्धारित करना केन्द्र/कार्यालय के प्रमुख की सक्षमता के क्षेत्राधिकार में आता है अथवा इसे निर्धारित करने के लिए उसे आवश्यक रूप से पहल करनी चाहिए, और
 - (ग) कि यह एक व्यक्तिगत मामला है।
4. मान्यताप्राप्त संघों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधि कर्मचारियों के सारे वर्गों से संबंधित मांगों/शिकायतों को उठा सकते हैं और ये मामले अखिल भारतीय स्तर पर प्रयोजनीय हों अर्थात् आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों को बोनस देने की मांग/कार्यालय प्रभुत्व के विचारों/टिप्पणियों सहित ऐसे मामले यथोचित कार्यवाही के लिए निदेशालय को भेजे जा सकते हैं।

ANNEXURE I

(See Paragraph 3 (iii))

**DETAILED INSTRUCTIONS REGARDING LOCAL INFORMAL STAFF
CONSULTATIVE COMMITTEES**

With a view to build up a healthier climate in the matter of 'Employer-employees relations' and to have a close liaison with the recognised unions/associations Stations/Offices of AIR, it has been decided that all Heads of Stations/Offices of AIR should meet the representatives of the recognised staff associations/unions, once in two months.

2. Some illustrative examples of the matters which will be discussed at such meetings are:—
- (a) Arrangement for supply of drinking water;
 - (b) Provision of Lockers;
 - (c) Cleanliness;
 - (d) Discrepancies in Provident fund accounts;
 - (e) Transport arrangements;
 - (f) Shift duty timings within the general frame work and overall limits laid down by Govt./DG: AIR;
 - (g) Canteen facilities;
 - (h) Delay in sanctioning of advances and payment of bills to staff;
 - (i) Measures for safety of workers etc.;
 - (j) Medical facilities;
 - (k) Housing facilities;
 - (l) Formation of Residents' Welfare Societies/Associations in radio colonies;
 - (m) Facilities for cooking food at the transmitters and receiving centres;
 - (n) Supply of Liveries to eligible group 'C' and group 'D' staff; and
 - (o) Library facilities.
3. The examples given in the preceding para are illustrative and not exhaustive. The tests for determining whether or not a matter can be discussed at such meetings are:—
- (a) That it is more or less of local and not of all India Character;
 - (b) That either its determination is within the competence of the head of Stations/Office concerned or initiative for its determination has necessary to be taken by him; and
 - (c) That it is not individual case.
4. Representation of recognised Unions/Associations will, however, be free to ventilate demands/grievances which concern all categories of staff and are of all India application for example demand for grant of bonus to employees of All India Radio and Doordarshan. Such matters with views/comments of the Head of Office can be referred to the Directorate for appropriate action.

5. आकाशवाणी के सभी केन्द्रों/कार्यालयों के प्रभुत्वों को सलाह दी जाती है कि तत्काल ऐसी बैठकें करना प्रारम्भ करें। ऐसी सभी बैठकों के कार्यवृत्त की एक प्रति मान्यताप्राप्त संघों/एसोसिएशनों के स्थानीय एककों के, प्रतिनिधि, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के अतिरिक्त इस निदेशालय में विशेष कार्य अधिकारी (कार्मिक) को भेजी जानी चाहिए।
6. आकाशवाणी में निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संघ/एसोसिएशन हैं :-
- (1) आकाशवाणी कार्यक्रम कर्मचारी एसोसिएशन,
 - (2) आकाशवाणी अभियंता एसोसिएशन,
 - (3) आकाशवाणी अभियांत्रिक कर्मचारी एसोसिएशन,
 - (4) आकाशवाणी तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन,
 - (5) आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कन्ध कर्मचारी संघ,
 - (6) आकाशवाणी प्रशासनिक कर्मचारी एसोसिएशन,
 - (7) आकाशवाणी आशुलिपिक एसोसिएशन,
 - (8) आकाशवाणी मोटर ड्राइवर एसोसिएशन,
 - (9) आकाशवाणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन,
7. अन्यो के अतिरिक्त निम्नलिखित पदेन अधिकारी बैठक में उपस्थित होंगे :-
- (क) वरिष्ठतम इंजीनिरिंग अधिकारी, यदि केन्द्र/कार्यालय प्रमुख एक कार्यक्रम अधिकारी है,
 - (ख) वरिष्ठतम कार्यक्रम अधिकारी, यदि केन्द्र/कार्यालय प्रमुख एक इंजीनियर है।
 - (ग) वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी अर्थात् उपनिदेशक प्रशासन/वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य लिपिक, जैसी भी स्थिति हो।
8. उपरोक्त वर्णित अधिकारी, जिनके बैठक में उपस्थित होना आवश्यक है, इनमें केन्द्र/कार्यालय प्रमुख, जोकि अध्यक्ष होगा, और मान्यता प्राप्त संघों, एसोसिएशनों के प्रतिनिधि मिलकर, स्थानीय औपचारिक कर्मचारी परामर्शदात्री समिति का निर्माण करते हैं और बैठकों के कार्यवृत्तों का, उनका इस प्रकार से ही उल्लेख किया जाए।
- (प्राधिकार : आकाशवाणी महानिदेशालय ज्ञापन सं. बी-12017/50/80-डब्ल्यू ई. दिनांक 30-8-80)
- यह स्पष्ट किया जाता है ज्ञापन सं० बी-12017/50/80-डब्ल्यू.एल. (ए) दिनांक 30-8-80 के पैरा-6 में वर्णित मान्यताप्राप्त संघ/एसोसिएशन केवल एक ही प्रतिनिधि को नाम निर्देशित करने के हकदार हैं।
- (प्राधिकार : आकाशवाणी महानिदेशालय ज्ञापन सं. बी-12017/50/80-डब्ल्यू ई. दिनांक 25-9-80)
- आकाशवाणी कर्मचारी कलाकारों के राष्ट्रीय संघ की महानिदेशक, आकाशवाणी के साथ एक औपचारिक बैठक में यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रों/कार्यालयों के प्रमुख कर्मचारी कलाकारों के दो राष्ट्रीय संघों यथा आकाशवाणी कर्मचारी राष्ट्रीय कलाकार संघ और आकाशवाणी कर्मचारी कलाकार संघ के प्रतिनिधियों के साथ सांविधिक रूप से बैठकें करते रहेंगे। दोनों ही संघ गैर-मान्यताप्राप्त हैं। आकाशवाणी के केन्द्रों/कार्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त वर्णित दो संघों के प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक बैठकें करते रहें। कार्यवृत्त तैयार किया जाए परन्तु कार्यवृत्तों की प्रति संघों के प्रतिनिधियों को न भेजी जाए/कार्यवृत्तों पर कार्यवाही की जाए/यदि आवश्यक हो तो, निदेशालय के संबंधित अनुभाग को कार्यवृत्तों से उद्धरण सहित स्वतःपूर्ण टिप्पणी भेजी जाए और कार्यवृत्तों पर की गई कार्यवाही के बारे में संघों के प्रतिनिधियों को अनौपचारिक रूप से सूचित किया जाए।
- (प्राधिकार : आकाशवाणी महानिदेशालय ज्ञापन सं. बी-12017/71/80-डब्ल्यू ई. दिनांक 31-8-81)

5. All Heads of Stations/Offices of AIR are advised to start holding such meetings immediately. A copy of the minutes of all such meetings should be endorsed, besides to the representatives of the local units of recognised unions/associations and others present at the meeting to OSD (P) in the Directorate.
6. The following are the recognised unions/associations in All India Radio:-
 1. AIR Programme Staff Association.
 2. AIR Engineers' Association
 3. AIR Engineering Employees' Association
 4. AIR Technical Employees' Association
 5. AIR Civil Construction Wing Employees' Union
 6. AIR Administrative Staff Association
 7. AIR Stenographers' Association
 8. AIR Motor Drivers' Association
 9. AIR Class-IV Employees' Association
7. The meetings will be attended, amongst others, by the following officers, ex-officio:-
 - (a) The seniormost engineering officer, if the head of station/office is a programme officer.
 - (b) The seniormost Programme Officer if the head of Station/Office is an Engineer.
 - (c) Seniormost administrative Officer i.e. the Deputy Director of Administration/Sr. Administrative Officer/Administrative Officer/Head Clerk as the case may be.
8. Collectively, the Officers named above who are required to attend meetings including the heads of Stations/Office who will be the Chairman and the representatives of recognized Unions/Associations will be known as 'Local Informal Staff Consultative Committee' and may be referred to as such in the minutes of the meetings.

(Authority:DG AIR Memo No.B-12017/50/80-WL (A) dated 30/8/80)

It is clarified that the recognized Unions/Associations named in para 6 of the Memo No. B-12017/50/80-WL(A) dated 30/8/80 are entitled to nominate only one representative each on the Local Informal Staff Consultative Committee.

(Authority:DG AIR Memo No.B-12017/50/80-WL dated 25/9/80)

It has been decided in an informal meeting of the Director General, All India Radio with the representatives of the National Union of AIR Staff Artists', the Heads of Stations/Offices will meet informally the representatives of the two Unions of the Staff Artists namely National Union of AIR Staff Artists and AIR Staff Artists' Union periodically. Both the Unions are unrecognized. Heads of Stations/Offices of All India Radio are requested to take meetings informally with the representatives of the above mentioned two Unions. The minutes may please be prepared but the minutes may not be endorsed to the representatives of the Unions. The action on the minutes may please be taken. If necessary, the extracts of the minutes alongwith the self-contained note with explanation may please be communicated to the concerned Section of the Directorate and the representative(s) of the Union(s) may please be informed *informally* about the action taken on the minutes.

(Authority:DG AIR Memo No.B-12017/71/80-WL dated 11/8/81)

सचिव, सूचना और प्रसारण ने इच्छा व्यक्त की है कि संबंधित केन्द्रों के प्रमुखों और अन्यो द्वारा होने वाले बैठकों की सूची तैयार की जाए और इस अनुसूची का पालन किया जाए। यदि निदेशालय द्वारा किसी मुद्दे पर कार्यवाही करना अपेक्षित है तो उसके लिए निदेशालय को अलग से लिखा जाए। एसोसिएशनों के साथ नियमित रूप से बैठक करने में विफलता का अर्थ नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों के प्रति निदेशालय की विश्वसनीयता को कम करना है।

(प्राधिकार : आकाशवाणी महानिदेशालय ज्ञापन सं० बी-12017/26/84-डब्ल्यू.एल. दिनांक 15-19-84)

आकाशवाणी के कुछ केन्द्र नियमित रूप से एसोसिएशनों/संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक नहीं कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, संबंधित केन्द्र/कार्यालय के स्थानीय कर्मचारी सदस्यों की शिकायतें बिना हल किए हुए रह जाएंगी जिसका केन्द्र/कार्यालय के सूचारु कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस बात पर बल देना निरर्थक है कि विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों और कार्यालय के बीच सुव्यवस्थित संबंधों से आकाशवाणी के केन्द्रों/कार्यालयों की कार्यकुशलता बढ़ती है। महानिदेशक के निदेशानुसार नियमित रूप से ऐसी बैठक की जाती रहनी चाहिए चाहे एक ही एसोसिएशन ने ही कार्यसूची पेश की हो। एक बार पुनः इस बात को दोहराया जाता है कि सभी केन्द्रों/कार्यालयों को नियमित रूप से स्थानीय सूचना कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठक की जानी चाहिए। बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्यवाही को नियमित रूप से इस निदेशालय को भेजा जाता रहना चाहिए। यहां यह बात कहना सही प्रतीत होता है कि एसोसिएशनों/संघों के साथ नियमित रूप से बैठक न करने पर निदेशालय की विश्वसनीयता पर आंच आती है। किसी भी प्रकार की चूक को गंभीरता से लिया जाएगा।

(प्राधिकार : आकाशवाणी महानिदेशालय ज्ञापन सं. बी-21017/8/85-डब्ल्यू.एल. दिनांक 14/17-2-85)

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के कार्यालयों में स्थानीय अनौपचारिक कर्मचारी परामर्शदात्री समिति की बैठक

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को सलाह दी जाती है कि तत्काल ही स्थानीय अनौपचारिक कर्मचारी परामर्शदात्री समिति का गठन करें, यदि पहले से अस्तित्व में न हों और नियमित रूप से उनकी बैठक की जाए। बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति आवश्यक रूप से इस निदेशालय को भेजी जाए। नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में बैठकें की जानी चाहिए और इस निदेशालय को समय-समय पर उससे सूचित रखा जाए। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विभागाध्यक्षों के लिए मान्यता प्राप्त संघों/एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से महीने में एक बार यदि ऐसे एसोसिएशनों की संख्या तीन से कम है, और एसोसिएशनों की संख्या तीन से अधिक होने पर दो महीनों में एक बार मिलना अपेक्षित है। इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि एसोसिएशनों/संघों के साथ नियमित बैठक करने में विफलता को गंभीरता से लिया जाएगा।

(प्राधिकार : आकाशवाणी महानिदेशालय ज्ञापन सं. बी-12017/21/86-डब्ल्यू.ई. दिनांक 11-17-86)

Secretary, I&B has desired that a suitable calendar regarding the meeting to be held should be drawn by the concerned Station Heads and others and also adhere to the Schedule when fall. If action on some points is required to be taken by the Directorate, a separate reference may please be made to the Directorate. Failure to held regular meetings with the Associations undermines the credibility of the Directorate in promoting cordial relations between employer and employees.

(Authority:DG AIR Memo No.B-12017/26/84-WL dated 15/19-3-84)

Some of the All India Radio Stations are not holding regular meetings with the representatives of the Associations/Unions. As a result, the grievances of the Local staff members of the concerned Stations/Offices remain unresolved which adversely affects the smooth functioning of the Stations/Offices. It is needless to emphasise that harmonious relations between the office and the members of the staff of various disciplines add to the efficiency of All India Radio Stations/Offices. The Director General directed that such meeting should be held regularly even if a single Association has submitted an agenda. It is once again reiterated that all the Stations/Offices should hold meetings of the Local Information Staff Consultative Committees regularly and send the minutes of the meeting alongwith action taken thereon thereafter to this Directorate regularly. It may be worthwhile to mention that failure to hold regular meetings with the Associations/Unions will tarnish the credibility of the Directorate. Any lapse in this regard will be viewed seriously.

(Authority:DG AIR Memo No.B-12017/8/85-WL dated 14/17-2-85)

MEETING OF LISCC AT ZONAL ENGINEERS OFFICES

All the zonal Chief Engineers are advised to form Local Informal Staff Consultative Committees immediately, if not already in existence and hold the meetings regularly. A copy of the minutes of the meeting must be sent to this Directorate. Regular meetings should be held in the zonal offices and this Directorate kept informed from time to time. It may be mentioned that the Heads of Offices are required to meet the recognised Union/ Association once in a month, where the number of such Associations is less than 3, and once in two months where the number is more than 3. It is once again reiterated that failure to hold regular meetings with the Associations/Unions will be viewed very seriously.

(Authority:DG AIR Memo No.B-12017/21/86-WL dated 11/17-3-86)